कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 3101 /15–1 दिनांक, झांसी, अप्रैल 22 2022

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्दलेखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी ।

विषयः– जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लिमिटेड, झांसी द्वारा सिजवाहा आरक्षित वनभूमि 0.060 हे0 झांसी–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–27 के किमी0 सं0 86 से 93.500 तक बांयी पटरी पर कुल 7.500 किमी0 क्षेत्रफल 0.225 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–44 के किमी0 सं0 6.500 से 18.200 तक कुल 11.700 किमी0 क्षेत्रफल 0.351 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि 0.636 हे0 बिना वृक्ष पातन के गैर संरक्षित वनभूमि 0.636 हे0 बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UP/Pipeline/143751/2021

संदर्भः– आपका पत्रांक–3217 / 15–1, दिनांक 19.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयाकिंत संदर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा 05 बिन्दुओं की कमियॉ दर्शायी गयी है, जिन्हें बिन्दुवार पूर्ण कर निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क0सं0	प्रस्ताव की कमियां	निराकरण
1	प्रस्ताव की प्रत्येक पत्रावली में पेनड्राइव संलग्न नहीं की गयी है।	प्रस्ताव की सभी पॉचों पत्रावलियों में पेनड्राइव संलग्न है।
2	पॉवर ऑफ एर्टोनी में प्रथम पेज में निर्दिष्ट स्थान से आलेख अंकित नहीं किया गया है, जो कि मान्य नहीं है।	पॉवर ऑफ एर्टोनी में प्रथम पेज में निर्दिष्ट स्थान ई–स्टाम्प चिन्हित रहता है जिसकी छायाप्रति संलग्न है, ऐसे ही आलेख समस्त पत्रावलियों में प्रस्तुत किये गये है जो सही है व मान्य है। पॉवर आफ एर्टोनी में जो आलेख है व नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रपत्र है।
3	कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2473 / 11सी–गाइड लाइन, दिनांक 24.02.2022 के अनुसार प्रस्ताव के प्रत्येक पेज पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2473 / 11सी–गाइड लाइन, दिनांक 24.02.2022 के अनुसार कार्यदायी संस्था के ऐसे अभिलेखों जैसे पॉवर ऑफ एर्टोनी, वित्तीय स्वीकृति एवं भाग–1 हिन्दी व अंग्रेजी एवं अन्य विभाग की NOC पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है जो कार्यदायी संस्था के मूल अभिलेख माने जाते है।
4	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश संलग्न नहीं है।	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 34 से 41 तक
5	गजट नोटिफिकेशन की अस्पष्ट प्रमाणित चिन्हित छायाप्रति है, स्पष्ट गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये ।	उ0प्र0 गजट नोटिफिकेशन सं0 708F/938-22, दि0 30.09.1890 की छायाप्रति प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 53 पर संलग्न है, जो पठनीय एवं स्पष्ट है।

उपरोक्तानुसार कमिया पूर्ण कर संस्तुति सहित प्रस्ताव की 5 प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि आप अपने स्तर से संस्तुति सहित प्रस्ताव की 03 प्रतियां मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित एवं 01 प्रति इस कार्यालय को वापस करने की कृपा करें ।

संलग्नक :– प्रस्ताव की 05 प्रतियॉ मूल में ।

भवदीय

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

CF Letter_Van